

कार्यालय, प्राचार्य, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय नई टिहरी, टिहरी गढ़वाल।

आवश्यक सूचना

दिनांक 27 जिंदम्बर, 2023

महाविद्यालय के समर्त प्राध्यापकों एवं छात्र/छात्राओं को सूचित किया जाता है कि उपनिदेशक (उ0शि0), उत्तराखण्ड, हल्द्वानी, नैनीताल के पू0सं0 डिग्री छात्रवृत्ति/3882/2023-24 दिनांक 27.09.2023 के अनुपालन में इस में नियमित रूप से कार्यरत प्राध्यापकों, संरथागत छात्रों एवं संरथागत शोध अध्येताओं को शोध कार्यों हेतु प्रोत्साहित किये जाने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा उच्च शिक्षा विभागान्तर्गत “मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना” प्रारम्भ की जा रही है।

अतः इस महाविद्यालय के नियमित प्राध्यापक, संरथागत छात्र/छात्रा एवं शोध छात्र/छात्रा संलग्न पत्र के अनुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

प्राचार्य

राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय  
नई टिहरी, टिहरी गढ़वाल।

प्रतिलिपि—डॉ० प्रीतम सिंह, प्रभारी बेवसाइट को इस आशय के साथ कि उक्त सूचना को अपलोड करना सुनिश्चित करें।

प्राचार्य

राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय  
नई टिहरी, टिहरी गढ़वाल।

प्रेषक,

शैलेश चगौली,  
सचित,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,  
उच्च शिक्षा निदेशालय,  
हल्द्वानी (नैनीताल)।

रांच्या— /XXIV-C-2/2023-25(1)22

उच्च शिक्षा अनुभाग-2

विषय:-उच्च शिक्षा विभागान्तर्गत 'मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना' संचालित किये जाने

विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उच्च शिक्षा विभागान्तर्गत राजकीय महाविद्यालयों एवं राज्य विश्वविद्यालयों में परिचर्तन, नई तकनीकों को बढ़ावा दिए जाने तथा राजकीय महाविद्यालयों/राज्य विश्वविद्यालयों में कार्यरत नियमित प्राध्यापकों, संस्थागत छात्रों एवं संस्थागत शोध अध्येताओं को शोध कार्यों हेतु प्रोत्साहित किये जाने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त लिए गए निर्णय के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उच्च शिक्षा विभागान्तर्गत निम्नानुसार 'मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना' संचालित किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

1. यह योजना 'मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना' के नाम से जानी जाएगी।
2. मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना की शुरुआत सत्र 2023-24 से प्रारम्भ होगी।
3. इस योजना का उद्देश्य राज्य के उच्च शिक्षण संस्थानों में शोध/अन्वेषण एवं नवाचार के वातावरण का सृजन करते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानों और मूल्यों के अनुरूप उत्कृष्ट शिक्षा और शोध के केन्द्र के रूप में संस्थाओं को विकसित करते हुए शिक्षकों एवं छात्रों को शोध एवं नवाचार के लिए प्रोत्साहित करना है।
4. इस योजना हेतु राज्य के शासकीय महाविद्यालयों तथा राज्य विश्वविद्यालय परिसरों में कार्यरत नियमित प्राध्यापक तथा संवंधित संस्थानों में नियमित संस्थागत रूप में अध्ययनरत छात्र/छात्राएं शोध अध्येता पात्र होंगे। शोध प्रस्ताव में प्रामुख शोध अन्वेषक के साथ एक सह-शोध अन्वेषक भी आवेदक हो सकता है।
5. मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना हेतु ऑनलाइन गार्डियर रो रागर्थ पोर्टल के माध्यम से आवेदन करना होगा। रागर्थ पोर्टल पर संस्था के शिक्षक/शोधार्थी द्वारा आदेत, करने के 15 दिनों के अंदर संस्था के प्राचार्य/गुरुलारिति द्वारा अग्रसारित करना होगा अन्यथा, रागर्थ रूप से अग्रसे रसर के लिए अग्रसरित हो जाएगा। रागर्थ पोर्टल पर आवेदन के वित्तीय दिशा-निर्देश विभाग द्वारा पृथक् रो जारी विए जाएंगे।
6. शोध हेतु व्यापक विषय लेवल विज्ञान, कला एवं मानविकी, गृह विज्ञान, तात्त्विक्य प्रबंधन होगा फिर शोध हेतु इंटरिंडिपिलियरी (Interdisciplinary) विषय को भी रखी वार्ता जाएगी। राज्य से संबंधित

शोध विषयों जिससे सामाजिक, आर्थिक, समाजाभिक अथवा अन्य विशिष्ट महत्व की उत्पादकता! और उपादेयता सिद्ध होती हो, उसे प्रोत्साहित किया जाएगा। शोध प्रस्तावों में विशिष्ट समरण समाधान और क्रियात्मक शोध विषयों (Problem and Action Based Research Programmes) को वरीयता प्रदान की जाएगी। राज्य सरकार के किसी विभाग द्वारा विशिष्ट समस्याओं के समाधान के निमित्त अनुरोध के आधार पर भी शोध प्रस्तावों को आमंत्रित किया जा सकता है।

7. मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना हेतु राज्य स्तरीय राज्य शोध एवं विकास प्रकोष्ठ चयन एवं मूल्यांकन समिति' का गठन किया जाएगा जिसका स्वरूप निम्नवत होगा—
  - (1) प्रमुख सचिव/सचिव, उच्च शिक्षा या उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि
  - (2) निदेशक, उच्च शिक्षा (संयोजक)
  - (3) कुलपति गण, उच्च शिक्षा विभाग अंतर्गत सगरता राज्य विश्वविद्यालय ,
  - (4) सदस्य— नियोजन विभाग द्वारा नामित सदस्य
  - (5) सदस्य— प्रस्तावित शोध प्रस्ताव के विषय क्षेत्र के अनुसार उच्च शिक्षा विभाग द्वारा नामित अकादमिक क्षेत्र के विषय विशेषज्ञ, भारत सरकार/राज्य सरकार के अन्य संबंधित विभाग रो विशेषज्ञ, उद्योग क्षेत्र के विशेषज्ञ अथवा किसी अन्य क्षेत्र/विषय/संरक्षण से जैसा कि उपरोक्त समिति द्वारा गुणवत्ताप्रक शोध के अनुश्रवण हेतु आवश्यक समझा जाय।
8. मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा र्वीकृत बजट की 10 प्रतिशत राशि का उपयोग शोध गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से संगोष्ठी, कार्यशाला, प्रशिक्षण आदि हेतु भी किया जा सकता है।
9. उक्त शोध प्रोत्साहन योजना हेतु दिया जाने वाला शोध अनुदान एक 'चैलेन्ज फण्ड' के रूप में होगा, जिसे राज्य स्तरीय राज्य शोध एवं विकास प्रकोष्ठ समिति एवं वाहग परीक्षकों द्वारा मूल्यांकन (ऑनलाइन एवं वर्तुनिष्ठ मूल्यांकन) के पश्चात विभिन्न विषय श्रेणी में प्राप्त उत्कृष्ट शोध प्रस्तावों का चयन किया जाएगा, जिसके मानक प्रक्रिया समिति द्वारा तय किए जाएंगे।
10. शोध हेतु अनुदान की अधिकतम राशि की सीमा ₹15.00 लाख तक होगी, जिसे विशेष परिस्थितियों में अत्यंत महत्व के शोध हेतु राज्य शोध एवं विकास प्रकोष्ठ समिति की संस्तुति के आधार पर अतिरिक्त 20 प्रतिशत तक बढ़ाते हुए कुल ₹18.00 लाख तक अनुमन्य किया जा सकता है।
11. स्वीकृत शोध अनुदान राशि में 10 प्रतिशत राशि आकस्मिक निधि (Contingency Fund) के रूप में होगा।
12. शोध कार्य पूर्ण करने हेतु अधिकतम दो वर्ष का समय प्रदान किया जाएगा जिसे विशेष परिस्थितियों में राज्य शोध एवं विकास प्रकोष्ठ समिति द्वारा आगामी 01 वर्ष तक विस्तारित किया जा सकता है।
13. किसी भी शिक्षक/शोधार्थी को एक समय में केवल एक ही शोध परियोजना अनुमन्य होगी।
14. शोध की अनुदान राशि तीन किस्तों में प्रदान की जाएगी। शोध की अनुदान राशि संस्था के शोध एवं विकास प्रकोष्ठ के खाते में डी०बी०टी० के माध्यम से दी जाएगी तथा जिसे प्रमुख शोध अन्वेषक (Principal Investigator) के लिखित अनुरोध पर शोध प्रस्ताव की लपरेखा एवं आवश्यकता के आधार पर संबंधित संस्था के प्राचार्य/कलासचिव द्वारा प्रमुख शोधकर्ता/शोधार्थी को लपत्रः

करायी जाएगी। रांवंधित संस्था के प्राचार्य/कुलसचिव द्वारा लिखित अनुरोध के अधिकतम तीन दिनों के अंदर यह राशि उपलब्ध करानी होगी अन्यथा स्पष्ट लिखित कारण सहित निदेशक उच्च शिक्षा के माध्यम से राज्य शोध एवं विकास प्रकोष्ठ समिति को अवगत कराना होगा, जिस पर अंतिम निर्णय सचिव, उच्च शिक्षा/समिति द्वारा लिया जाएगा-

- (1) प्रथम किरत में 50 प्रतिशत अनुदान राशि शोध प्रत्ताव की स्वीकृति के साथ ही जारी की जाएगी।
- (2) दूसरी किरत के रूप में 30 प्रतिशत वी अनुदान राशि संतोषजनक कार्य करते हुए पूर्व स्वीकृत राशि का उपभोग प्रमाणपत्र, जो कि संवंधित रांस्था के प्राचार्य/कुलसचिव द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित होगी, के प्रत्तुत करने तथा राज्य शोध एवं विकास प्रकोष्ठ के समक्ष स्वीकृत शोध की शोध प्रगति आख्या की प्रस्तुति के उपरान्त ही देय होगी।
- (3) तीसरी एवं आंतम किरत के रूप में 20 प्रतिशत की अनुदान राशि शोध कार्य पूर्ण करने के उपरान्त, हार्ड एवं सापट कॉफी में शोध ग्रंथ एवं पॉलिसी डॉक्युमेन्ट वर्किंग पेपर के रूप में राज्य शोध एवं विकास प्रकोष्ठ समिति को उपलब्ध कराने तथा स्वीकृत शोध से संवंधित न्यूनतम दो शोध पत्रों के यूजी०सी० केयर लिस्ट/स्कोप्स आदि रत्तीय शोध पत्रिकाओं में प्रकाशन, जो कि शोध स्वीकृति के पश्चात की तिथि का हो, को उपलब्ध कराने के उपरान्त जारी किया जाएगा।

15. शोध मौलिक होना चाहिए तथा यू०जी०सी० द्वारा शोध की गुणवत्ता एवं मानकों के दिशा-निर्दशों के अनुरूप होना चाहिए। शोधार्थी को शोध की मौलिकता संवंधी प्रमाणपत्र भी प्रत्तुत करना होगा। किसी भी प्रकार वी अकादमिक चोरी/शोध/साहित्यिक चोरी (Plagiarism) अथवा यह सिद्ध होने पर की स्वीकृत राशि का उपयोग शोध कार्य की जगह किसी अन्य उद्देश्य से किया गया है तो उक्त की दशा में सम्पूर्ण स्वीकृत राशि की वसूली की जाएगी।

16. शोध कार्य पूर्ण होने के उपरान्त, शोध कार्य का समर्त कॉपीराइट/आई०पी०आर०, उच्च शिक्षा विभाग अंतर्गत राज्य शोध एवं विकास प्रकोष्ठ समिति के पास संरक्षित होगा। इस शोध कार्य के प्रकाशन कार्य हेतु प्रमुख शोधकर्ता/शोध अध्येता द्वारा राज्य शोध एवं विकास प्रकोष्ठ समिति के माध्यम से उच्च शिक्षा विभाग से पूर्व अनुमति प्राप्त कर प्रकाशन का कार्य किया जा सकेगा, जिसमें यह उल्लेख करना आवश्यक होगा कि यह शोध कार्य मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड के अधीन संपादित किया गया है।

17. स्वीकृत अनुदान का संपूर्ण रिकार्ड संस्थान स्तर पर धारित किया जाएगा जिसमें प्रमुख शोधार्थी राहित संस्था के प्राचार्य/कुलसचिव द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जाएगा।

18. शोध अनुदान के व्यय में राज्य सरकार के व्यय एवं वित्त संवंधी लागू सुसँगत नियमों का पालन किया जाएगा तथा व्यय के समर्त लेखा रिकॉर्ड और अभिलेखों को अद्यतन रखेगा।

19. स्वीकृत अनुदान से किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य अनुमन्य नहीं होगा।

20. शोध अनुदान राशि से क्रय की गई समर्त पूंजीगत वस्तुएं जैसे कम्प्यूटर, पुस्तकें, लैब का सामान, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर अथवा अन्य कोई वस्तु उस संवंधित संस्था की संपत्ति होगी जिसे शोध कार्य के दौरान संवंधित संस्था के माध्यम से क्रय किया गया हो। ऐसे किसी भी वस्तु को प्रमुख

शोधकर्ता द्वारा शोध कार्य की समाप्ति के पश्चात संबंधित संरथा के प्राचार्य/कुलसाहित के माध्यम से संरथा को देना होगा।

29. राज्य शोध एवं विकास प्रकोष्ठ समिति आवश्यक रूप से वर्ष में न्यूनतम दो बार बैठक करेगी। समिति आवश्यक होने पर ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन माध्यम से कभी भी बैठक कर सकती है।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय आय-व्ययक के अनुदान संख्या 11 गे राजस्व व्यय के लेखाशीर्पक 2202-सामान्य शिक्षा-03-विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा-800-अन्य व्यय-17-एन0ई0पी0 के अन्तर्गत अनुसंधान एवं विकास प्रकोष्ठ की स्थापना-42-अन्य विभागीय व्यय मद से दहन किया जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3, उत्तराखण्ड शासन के ई-जेनरेटेड संख्या I/153814/2023, दिनांक 13/09/2023 में प्राप्त उनकी सहमति के ब्राम में निर्णति किये जा रहे हैं।

भवदीय,  
(शैलेश बगौली)  
सचिव।

संख्या-154824 (1)/ XXIV-C-2/2023-25(1)22 तददिनांकित।

2- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (ऑडिट) उत्तराखण्ड, कौलागढ रोड, देहरादून।
2. अपर मुख्य सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. निजी सचिव, मा० उच्च शिक्षा मंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
4. समस्त मण्डलायुवत, उत्तराखण्ड।
5. समस्त निलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
7. समस्त कुलपति / कुलसचिव, राज्य विश्वविद्यालय, उत्तराखण्ड।
8. समस्त प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, उत्तराखण्ड द्वारा निदेशक, उच्च शिक्षा।
9. निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड।
10. अनुभाग अधिकारी, वित्त अनु०-३/नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
11. गर्ड फाईल।

आज्ञा से  
Deepak  
(दीपक कुमार)  
अनु सचिव।

उच्च शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, हल्द्वानी (नैनीताल)

पृ०सं०: डिग्री छात्रवृत्ति/ ३०४२ /2023-24  
2023

दिनांक २७/०९/२३

प्रतिलिपि - समस्त शासकीय प्राचार्य/परिसर निदेशक/कुलसचिव राज्य विश्वविद्यालय को इस आशय से प्रेषित की वे अपने स्तर से 'मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना' को प्रचार-प्रसार हेतु अपनी आधिकारिक बेवसाइट तथा सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करने हुए आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित।

Om Prakash  
(डॉ० एच० एस० नयाल)  
उप-निदेशक  
कृते-निदेशक (उच्च शिक्षा)